P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# शिक्षित महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता व सहभागिता का अध्ययन

**सारांश**

भारतीय राजनीति में महिला वर्ग के प्रवेश तथा उन्हें मताधिकार प्रदान किए जाने का एक तथ्यपूर्ण राजनीतिक इतिहास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के लिए विभिन्न अधिनियम पारित हुए हैं लेकिन उनकी राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता का स्तर कम है। विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक बाधायें जिनके कारण महिलायें नेतृत्व की भूमिका निभाने में असमर्थ हो रही हैं महिलाओं की राजनैतिक क्षेत्र में जागरूकता व सहभागिता का स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन संतोषजनक नहीं है वे आज भी प्रशासन स्तर में सहभाग करने से कतरा रही हैं।

**मुख्य शब्द :** राजनीति, महिला जागरूकता, सहभागिता।

**मंजू अग्निहोत्री**
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
अकबरपुर डिग्री कालेज,
अकबरपुर, कानपुर देहात,
उत्तर प्रदेश, भारत

**प्रस्तावना**

वर्तमान में महिलायें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने या प्राप्त करने हेतु संघर्षरत हैं जिसमें राजनीतिक सहभागिता भी प्रमुख है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो हम पाते हैं कि यहां सदैव जमीन से जुड़ी महिलाओं का अभाव ही रहा है। जिन महिलाओं का पदार्पण इस क्षेत्र में हुआ उनमें से अधिकांश को अपनी प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही राजनीति में स्थान मिल सका। इसके अलावा विडम्बना यह है कि जो महिलाएं आज राजनीति में पहुंच रही हैं वे अपने पुरूष संरक्षकों व पार्टी हितों के प्रति ऐसी प्रतिबद्ध हैं कि अपने समाज के निर्माण में निर्णायक भूमिका नहीं निभा रही हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की सामाजिक व राजनैतिक स्थिति अति पिछड़ी हुई थी। 1937 में महिलाओं के लिए जहाँ 41 स्थान सुरक्षित थी परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के नवीन संविधान के अनुसार सन् 1950 में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार प्रदान किये गये। 1952 में 23 स्त्रियाँ लोकसभा और 19 स्त्रियाँ राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई। राज्यों के विधानमण्डलों में स्त्रियों की संख्या 58 थी। सन् 1957 में विधान मण्डलों के लिए 342 स्त्रियाँ चुनाव मैदान में आई, जिनमें से 195 निर्वाचित हुई। सन् 1971 और 1977 के चुनावों से भी ऐसा ज्ञात होता है कि महिलाओं में अपने वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती गयी तथा 1991 में भी राजनीति के मैदान में आशानुरूप महिलाएं उतरी। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। 2004 के चुनावों से भी ज्ञात होता है कि महिलाओं में वोट डालने की प्रवृति में तो बढ़ावा हुआ है लेकिन चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 में हुये लोकसभा चुनावों से यह ज्ञात होता है कि महिलाओं में वोट डालने की प्रवृति में अधिक जागरुकता आई है व सबसे अधिक 66 महिलायें इस बार सदन तक पहुंची हैं।

जैसा कि पान्निकर ने लिखा है कि – ''जब स्वतंत्रता प्राप्त की गई तब भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों ने जो स्थान प्राप्त किया है उसे देखकर हिन्दू स्त्रियाँ पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई पायी गयी हैं। भारत में जो महान परिवर्तन हुये हैं उनकी महत्ता यह थी कि भारतीय महिलाओं ने राज्यपालों, कैबिनट स्तर के मंत्रियों व राजदूतों के रूप में स्थान प्राप्त किया।''[1] स्पष्ट है कि पिछले 60 वर्षो में स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफी वृद्धि हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। समाज–सुधारकों व महिला संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई और समय – समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किये गये जिन्होंने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने

और उनकी स्थिति को ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बॉशम ने कहा है कि – ''प्रारम्भ में तो पर्दा प्रथा, अशिक्षा, दहेज आदि समस्यायें ही शिक्षित नारियों का ध्यान आकर्षित करती रहीं किन्तु धीरे – धीरे राष्ट्र का राजनैतिक घटनाक्रम उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की प्रेरणा देने लगा। श्रीमती ऐनीबीसेण्ट के कांग्रेस की अध्यक्ष बनने से भारतीय शिक्षित नारियों में एक नई चेतना जागृत हुई। श्रीमती सरोजनी नायडू तथा अमन बी0 बी0 भी इस कार्य में राष्ट्रीय आन्दोलन की पंक्ति में आ डटी। इसके अतिरिक्त श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, मॉ कस्तूरबा, हंसा मेहता, अरूणा आसिफ अली, कमला देवी चट्टोपध्याय आदि महिलाओं ने राजनीति में भाग लेने के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र में भी जागरण का शंखनाद किया था।''[2]

युग बदलने के साथ–साथ देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं किन्तु जिस गति से देश और समाज बदला है क्या उसी गति से महिलाओं की स्थिति भी समाज में बदली है ? इस संदर्भ में कमला सिंघवी जी का मत है – ''कहने को आज समाज में महिलाओं को हर प्रकार के समान अधिकार प्राप्त हैं लेकिन आज भी वास्तव में घर और समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों से बहुत निम्न है और वह आज भी पुरुषशासित समाज में रह रही है।''[3]

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र के निचले सदन लोकसभा की डगर अभी भी कठिन है। हाल में सम्पन्न 543 सीटों के चुनावों में महज 66 सीटों पर ही विजय हासिल कर लोक सभा की चौखट लांघने में महिलायें सफल रहीं। आबादी के अनुपात में हम कह सकते हैं कि वे हाशिये पर ही हैं। यहां आखिर क्या यह सोचना उचित नहीं होगा कि आखिर देश की लगभग आधी आबादी होने के बावजूद महिलायें लोकसभा में अपनी सशक्त उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज करा पा रही हैं? महिलाओं की कम भागीदारी इसलिए और भी चिन्तित करने वाली है कि आज राष्ट्रपति, लोकसभाध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठी महिलायें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रही हैं तो महिलाओं के आगे बढ़ने में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है ? दरअसल इसके एक नहीं कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है। समाज का एक बड़ा तबका आज भी यही मानता है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चाहरदीवारी के भीतर ही है। उन्हें बच्चों का पालन–पोषण एवं चूल्हा–चौका संभालने में ही निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजनीति में ताल ठोंकने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं हैं राजनीति उनके बस की बात नहीं है। महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता, अधिकारों की अनभिज्ञता, पुरुषों पर निर्भरता आदि भी राजनीति में उनकी कम भागीदारी की अन्य प्रमुख वजहें हैं। साथ ही पुरुष राजनेता इस बात से भी डरे–सहमे रहते हैं कि अगर आबादी के अनुपात में महिलायें राजनीति के मैदान में कूद पड़ी तो बहुत सारे पुरुष राजनेताओं की नेतागिरी की दुकान के शटर गिर जायेंगे। इसलिए भी वे महिलाओं को राजनीति के डगर पर कदम बढ़ाते देखना पसंद नहीं करते। यदि हम अब तक सम्पन्न लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या 19 से 66 के बीच ही सीमित रही है।[4]

**अध्ययन का उद्देश्य**

शिक्षित महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता के स्तर का अध्ययन करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

**साहित्यावलोकन**

ब्रास[5] ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में राजनीति का अध्ययन जाति तथा गुट के सन्दर्भ में किया है और निष्कर्ष निकाला है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बहुत ही कम है क्योंकि किसी विशेष गुट अथवा दल से घनिष्ठ तथा सम्बन्धित नहीं होती। स्वयं वह राजनीति में आने के लिए लालायित नहीं होती जब तक उनके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं करते।

राम आसरे[6] ने 1969 में उत्तर प्रदेश के बीच में ही चुनावों में विधायकों की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं में राजनीतिक प्रभावोत्पादकता काफी अधिक पायी जाती है जिसका सीधा सम्बन्ध उनकी राजनीतिक सहभागिता से होता है। यद्यपि भारत में राजनीतिक प्रभावोत्पादकता आवश्यक रुप से बहुत कम होती है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह अधिक पाई जाती है परन्तु फिर भी इनकी राजनीतिक सहभागिता कम ही पाई गयी।

अन्नपूर्णा[7] ने उड़ीसा की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है जो आज भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित करते हैं।

नेमीसराय[8] ने निष्कर्ष निकाला है कि शिक्षित महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा मतदान में कम भाग लेती हैं इसके पीछे सामाजिक कारण माना जाता है।

**शोध प्रारूप**

प्रस्तुत अध्ययन कानपुर नगर के स्थानीय महाविद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं पर आधारित है। इन महाविद्यालयों में कुल 620 स्थायी शिक्षिकाएं थीं। अध्ययन के निर्देशन हेतु इकाईयों की कुल संख्या की 50 प्रतिशत शिक्षिकाए अर्थात 310 शिक्षिकाओं को सरल दैवनिर्दशन की लाटरी विधि द्वारा चुना गया। सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। शिक्षित महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता की जानकारी हेतु सारणियों का निमार्ण करके निष्कर्ष निकाले गए हैं–

**तालिका संख्या 1**
**भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था**

| राजनीतिक व्यवस्था का गठन | सूचनादाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अध्यक्षात्मक | 031 | 10.00 |
| संसदीय | 279 | 90.00 |
| कह नहीं सकते | 00 | 00.00 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 1 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत ने संसदीय व्यवस्था को माना जबकि 10 प्रतिशत का मानना है कि भारत में अध्यक्षात्मक राजनीतिक व्यवस्था है। अतः शिक्षिकाओं में अभी भी 10 प्रतिशत को सही जानकारी नहीं है जो आश्चर्य की बात है।

**तालिका संख्या 2**
**केन्द्र में सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए**

| कितना बहुमत चाहिए | सूचनादाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1/2 | 031 | 10.00 |
| 2/3 | 234 | 75.48 |
| 3/4 | 029 | 09.36 |
| कह नहीं सकते | 016 | 05.16 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 2 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 75.48 प्रतिशत के अनुसार 2/3 बहुमत होना चाहिए, 10 प्रतिशत के अनुसार केन्द्र में सरकार बनाने के लिए 1/2 बहुमत चाहिए, 9.36 प्रतिशत के अनुसार 3/4 बहुमत चाहिए जबकि 5.16 प्रतिशत के अनुसार कुछ कह नहीं सकते। अतः 75.48 प्रतिशत शिक्षिकाओं को सही बहुमत की जानकारी है।

**तालिका संख्या 3**
**भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है**

| सबसे अधिक शक्तिशाली | सूचनादाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | 155 | 50.00 |
| प्रधानमंत्री | 124 | 40.00 |
| नहीं जानती | 031 | 10.00 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 3 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत के अनुसार राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, 40 प्रतिशत के अनुसार प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली है जबकि 10 प्रतिशत शिक्षिकायें इस बारे में कुछ नहीं जानती। अतः हम कह सकते हैं कि केवल 50 प्रतिशत शिक्षिकाओं को ही सही जानकारी है।

**तालिका संख्या 4**
**महिला आरक्षण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री सरकार ने दी**

| महिला आरक्षण किस सरकार ने दिया | सूचनादाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| श्रीमती इंदिरा गांधी | 200 | 64.52 |
| श्री नरसिंह राव | 031 | 10.00 |
| श्री इन्द्र कुमार गुजराल | 079 | 25.48 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 4 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 64.52 प्रतिशत के अनुसार महिला आरक्षण की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, 25.48 प्रतिशत के अनुसार श्री इंद्र कुमार गुजराल ने की जबकि 10 प्रतिशत के अनुसार श्री नरसिंह राव ने की। अतः हम कह सकते हैं कि केवल 25.48 प्रतिशत शिक्षिकाओं को ही सही जानकारी है।

**तालिका संख्या 5**
**किस संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्राप्त हुआ**

| किस संविधान संशोधन में पंचायत में आरक्षण मिला | सूचनादाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 77वें | 000 | 00.00 |
| 73वें एवं 74वें | 248 | 80.00 |
| 72वें एवं 73वें | 062 | 20.00 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 5 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत शिक्षिकाओं के अनुसार 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्राप्त हुआ, जबकि 10 प्रतिशत शिक्षिकाओं के अनुसार 72वें एवं 73वें संविधान संशोधन में। अतः अधिकतर शिक्षिकाओं को सही जानकारी है।

**तालिका संख्या 6**
**किसी दल की चुनावी सभा में भाग लेने पर विचार**

| चुनावी सभा में भाग | सूचनादात्रियों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हाँ | 093 | 30.00 |
| नहीं | 217 | 70.00 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 6 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने किसी न किसी दल की चुनावी सभा में भाग नहीं लिया है जबकि 30 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने किसी न किसी दल की चुनावी सभा में भाग लिया है।

**तालिका संख्या 7**
**महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर विचार**

| सक्रिय राजनीति में भाग | सूचनादात्रियों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 155 | 50.00 |
| नहीं | 124 | 40.00 |
| उत्तर नहीं | 031 | 10.00 |
| योग | 310 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी संख्या 7 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत ने माना कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। 40 प्रतिशत ने माना कि महिलाओं को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तथा10 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि आज की शिक्षित कामकाजी महिलाएं राजनीति को महत्वपूर्ण तो मानती हैं लेकिन राजनैतिक दलों का वातावरण देखकर न तो वे उसमें रुचि लेती हैं और न ही परिवार के सदस्य राजनीति में उन्हें जाने की प्रेरणा दे पाते हैं जब तक कि परिवार का वातावरण राजनैतिक न हो।

**निष्कर्ष**

शिक्षित कार्यरत महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरुकता तो अवश्य अन्य महिलाओं से ज्यादा है लेकिन उनकी यह जागरुकता संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष यह बताते हैं कि राजनीति के प्रति स्त्रियों की जागरुकता बढ़ी है एवं ग्रामीण–शहरी अन्तर कम हो रहा है। यद्यपि ग्रामीण स्त्रियों के अपेक्षाकृत कम भाग लेने के विषय से सम्बन्धित धारणा अभी भी व्यापक है परन्तु अन्वेषणों से पता चलता है कि शहरीकरण का राजनीति में स्त्रियों के भाग लेने पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्रियों की राजनीतिक सजगता के स्तर अलग–अलग प्रदेशों, वर्गों और समुदायों में अलग–अलग होते हैं। कुल मिलाकर कामकाजी महिलाओं में जिनमें व्यवसायरत महिलायें भी शमिल हैं राजनीति के प्रति सजगता तो अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है किन्तु इसका परावर्तन हमेशा सहभागिता में नहीं होता। अर्थात वे राजनीति के प्रति सजग होते हुए भी उसमें अधिक सक्रिय भाग नहीं लेती।

**अंत टिप्पणी**

1 *के0 एम0 पान्निकर : हिन्दू सोसाइटी एट क्रास रोड, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1955 पृ0 36*
2 *ए0 एल0 बॉशम, ''अद्भुत भारत'' – उद्धृत द्वारा श्रीमती मीनाक्षी व्यास, पूर्वोक्त – पृ0 28*
3 *सिंघवी कमला, ''नारी भीतर और बाहर'', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23 दरियागंज, नई दिल्ली – 110002*
4 *धनंजय सहाय, ''महिलाओं के लिए कठिन है लोकसभा की डगर'', दैनिक आज, जून 2014,*
5 *Brass, Paul R. – Factionalism and Congress Party in U.P. (Asian Survey) 1976.*
6 *Roy, Ramashray – The Uncertain Verdict – A Study of the 1969 Election in Four Indian States (New Delhi – Orient Longman) 1973*
7 *Annapurna Devi – Women Participation in the State Politics of Orrisa – Asociological analysis (Doctoral Disseratation – Jawahar Lal Nehru University) 1981.*
8 *Nami Sarai, Mohan Das- Politics and Women, Danik Jagaran, Nov. 4, 1991*